उप–खण्ड (चार) के अधीन राज्य शासन द्वारा जिस दिनांक को प्रारूप योजना संस्वीकृत की गई है, उस दिनांक से धारा 49 की उप–धारा (3) के खण्ड (ग), (च), (छ) एवं (ज) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन हेतु आवश्यक सभी भूमि नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी में सभी ऋण भारों से पूरी तरह से मुक्त होकर वेष्ठित हो जाएगी;

(दो) उप–खण्ड (एक) में दी गई कोई भी बात, उस धारा के अधीन नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी में निहित भूमि के स्वामी का कोई भी अधिकार प्रभावित नहीं करेगी;

(तीन) धारा 50 की उप–धारा (8) के प्रावधान, उप–खण्ड (एक) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिये, स्वीकृत प्रारूप योजना पर यथोचित परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे कि स्वीकृत प्रारूप योजना, अंतिम योजना हो;

(6) राज्य शासन द्वारा प्रारूप योजना की स्वीकृति के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह के भीतर, राज्य शासन, एक या एक से अधिक नगर विकास योजना, जो स्वीकृति हेतु प्राप्त हो, के प्रयोजन हेतु, ऐसे अधिकारियों की एक समिति गठित करेगा, जैसा कि विहित किया जाएं, जो स्वीकृत प्रारूप योजना के अनुसरण में अंतिम योजना तैयार करेगी; और इस संबंध में अंतिम योजना तैयार करने हेतु यथा विहित रीति में आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करेगी।

(7) (1) उप–धारा (6) के अधीन गठित समिति, आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार करेगी और ऐसे व्यक्तियों को सुनवाई के लिए समय देगी, जो सुनवाई के इच्छुक हैं, और

निम्नलिखित प्रस्तावों के साथ, निर्धारित समय के भीतर, राज्य शासन को अंतिम योजना प्रस्तुत करेगी:–

(एक) मानचित्र में लोक प्रयोजन हेतु आबंटित या आरक्षित क्षेत्रों का सीमांकन एवं निर्धारण करना;

(दो) मानचित्र में पुनर्गठित अंतिम भूखण्डों का चिन्हित करना;

(तीन) वास्तविक भूखण्ड के किसी अधिकार का अंतिम भूखण्ड में पूर्ण या आंशिक हस्तांतरण प्रदान करना या वास्तविक भूखण्ड के किसी अधिकार का धारा 58–घ के प्रावधानों के अनुसार हस्तांतरण प्रदान कराना;

(चार) मूल एवं पुनर्गठित भूखण्डों के मूल्यों का आकलन करना;

(पांच) मूल्यों का अनुमान लगाना और मूल भूखण्डों के मूल्यों एवं पुनर्गठित भूखण्डों के मूल्यों के बीच अंतर निर्धारित करना, जो कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अंतिम योजना में सम्मिलित है;

(छः) लोक प्रयोजन हेतु प्रयुक्त, आबंटित या आरक्षित क्षेत्र, योजना क्षेत्र, यदि लागू हो, के भीतर के रहवासियों या भू–स्वामियों के लिए क्या पूर्णतः या आंशिक रूप से लाभदायक है, का निर्धारण करना यदि उपयुक्त हो ;

(सात) प्रत्येक प्रयुक्त भूखण्ड, जो लोक प्रयोजन हेतु आबंटित या आरक्षित या नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के लिये आरक्षित रखा गया हो, जो कि योजना के निवासियों के

लिये आंशिक रूप से लाभकारी हो तथा आंशिक रूप से सामान्य जन के लिए लाभकारी हो, के भुगतान योग्य मुआवजे की राशि का आंकलन करना, जो योजना की लागत में शामिल की जायेगी;

(आठ) लोक प्रयोजन के लिये या नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के उद्देश्य के लिये प्रत्येक प्रयुक्त, आबंटित या आरक्षित भूखण्ड, जो आंशिक रूप से योजना क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के लिये और आंशिक रूप से सामान्य जन के लिये लाभकारी हो, पर धारा 58–ग के अंतर्गत लगाये जाने वाले अंशदान की गणना करना;

(नौ) धारा 58–ख के प्रावधानों के अनुसार योजना में सम्मिलित प्रत्येक भूखण्ड के संबंध में अर्जित होने वाली वृद्धि का आकलन करना;

(दस) अंतिम योजना में सम्मिलित प्रत्येक भूखण्ड पर लगने वाले अंशदान और धारा 58–ग के अंतर्गत उस भूखण्ड से अर्जित होने वाली प्राक्कलित वृद्धि के बीच के अनुपात की गणना करना;

(ग्यारह) अंतिम योजना में सम्मिलित प्रत्येक भूखण्ड पर लगाये जाने वाले अंशदान की गणना करना;

(बारह) किसी भी व्यक्ति से उगाही करने योग्य, जोड़े जाने योग्य, जैसा कि मामला हो, से धारा 58–ग के प्रावधानों के अनुसार किसी

व्यक्ति पर लगाये जाने वाले अंशदान की गणना करना।

(तेरह) विनिर्दिष्ट रीति और प्रपत्र में दी गई सूचना के पश्चात् धारा 58—ङ के प्रावधानों के अनुसार नगर विकास योजना के अंतर्गत प्रभावित किसी सम्पत्ति या उसके अधिकार, के स्वामी को उसके द्वारा किये दावे का आकलन कर क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा;

(चौदह) स्वीकृत प्रारूप योजना के अनुसार अंतिम योजना को विहित प्रपत्र में चित्रित करना, तथापि समिति प्रारूप योजना में संशोधन कर सकेगी, परन्तु ऐसा कोई भी परिवर्तन, यदि वह सारभूत प्रकृति का हो, तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक राज्य शासन की पूर्व स्वीकृति न हो और नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो;

स्पष्टीकरण.— खण्ड (चौदह) के प्रयोजन हेतु, सारभूत परिवर्तन से अभिप्रेत है नये कार्य के कारण या लोक प्रयोजन हेतु अतिरिक्त क्षेत्रों के आरक्षण, समिति द्वारा तैयार की गई अंतिम योजना में शामिल किये जाने के कारण प्रारूप योजना की कुल लागत में 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि।

(पन्द्रह) ऐसे अन्य विषयों का निर्धारण करना, जैसा कि विहित किया जाए;

(2) उप—धारा (1) के अंतर्गत समिति तीन महीने की अवधि के भीतर संदर्भित विषयों पर निर्णय ले सकेगी,

जिसकी अवधि राज्य शासन, लिखित में कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् समय–समय पर बढ़ा सकती है, समिति द्वारा अंतिम योजना, प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों की प्रतियों के साथ उसके अनुमोदन के लिए राज्य शासन को भेजी जायेगी।

(8) योजना का अनुमोदनः (1) धारा 50 की उप–धारा (7) के खण्ड (2) के अधीन अंतिम योजना प्राप्त होने पर राज्य शासन, अधिसूचना के द्वारा, इसकी प्राप्ति दिनांक से तीन माह के भीतर, अंतिम योजना का अनुमोदन कर सकता हैः

परंतु, अंतिम योजना का अनुमोदन करने में, राज्य शासन, ऐसा उपान्तरण कर सकता है, जैसा कि राज्य शासन अपनी राय में, त्रुटि, अनियमितता या अनौपचारिकता में सुधार के प्रयोजन हेतु आवश्यक समझे;

(2) खण्ड (1) के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा नगर विकास योजना अनुमोदित किए जाने के तुरंत पश्चात् राजपत्र और अन्य ऐसी रीति जो अंतिम नगर विकास योजना में विहित हो, में प्रकाशित की जाएगी तथा निर्दिष्ट दिनांक से यह योजना प्रारंभ होगी;

(3) खण्ड (2) के अंतर्गत हुई अधिसूचना में निश्चित की गई तिथि पर या उसके पश्चात्, नगर विकास योजना ऐसे प्रभावी होगी मानो वह इस अधिनियम में अधिनियमित हो;

(4) नगर विकास योजना के प्रभावशील होने की अंतिम अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर भू–स्वामियों को योजना में विनिर्दिष्ट भूखण्ड का आबंटन करना होगा।

नवीन धारा 50—क, 50—ख, 50—ग, 50—घ एवं 50—ङ का अन्तःस्थापन.

26. मूल अधिनियम की धारा 50 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये और यह 1 नवम्बर, 2000 से अन्तःस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्:—

"50—क. नगर विकास योजना के क्षेत्रफल को बढ़ाना या घटाना.— राज्य शासन के समक्ष, स्वीकृति हेतु प्रारूप योजना प्रस्तुत करने के पूर्व, किसी भी समय, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी अतिरिक्त क्षेत्र को योजना क्षेत्र में सम्मिलित कर सकेगा अथवा विमुक्त कर सकेगा और नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी, राज्य शासन की अनुमति प्राप्त कर ऐसे विमुक्त किये गये अथवा शामिल किये गये क्षेत्रों के संबंध में राजपत्र एवं एक या एक से अधिक स्थानीय समाचार पत्रों में सूचना जारी करेगा और इसके उपरांत धारा 49 एवं 50 के सभी प्रावधान, ऐसे अतिरिक्त क्षेत्रों, जिसे वे योजना के ऐसे क्षेत्रों को लागू होते हों, के संबंध में लागू होंगे तथा उसके अनुसार ही प्रारूप योजना तैयार कर शासन के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाएगी।

50—ख. योजना का प्रभाव.— वह तिथि जिससे अंतिम योजना प्रवृत्त होगी,—

(क) वह सभी भूमि नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी में सभी ऋण भारों से मुक्त होकर पूर्णतः वेष्ठित हो जाएगी, जब तक कि वह इस योजना के लिये अन्यथा निर्धारित न की गई हो;

(ख) मूल भूखण्डों के सभी अधिकारों का निर्धारण, जिनको अंतिम प्लाट के रूप में पुनर्गठित किया गया हो, गठित की गई समिति द्वारा किया जायगा;

(ग) नगर विकास योजना के अंतर्गत मूल भूस्वामी को आवंटित किये गये अंतिम प्लाट का भू—उपयोग जैसा

कि विहित किया गया हो, अंतिम होगा तथा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत भूमि के ऐसे व्यपवर्तन के लिये अनुमति, आवश्यक नहीं होगी।

50—ग. तुरंत बेदखल करने की प्राधिकारी की शक्ति.— जिस दिनांक को अंतिम योजना प्रवृत्त होती है, उस दिनांक को और उसके पश्चात्, ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भूमि पर लगातार कब्जा किए रहता है यद्यपि अंतिम योजना के अनुसार वह उसके लिये हकदार नहीं है, को विहित प्रक्रिया से नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा, ऐसे किसी भी कब्जे से बेदखल किया जा सकेगा।

50—घ. योजना को लागू करने की शक्ति.— (1) नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी, अंतिम योजना के प्रभावशील होने की तिथि और उसके पश्चात्, विहित सूचना को देने के पश्चात् और योजना के प्रावधानों के अनुसार,—

(क) योजना में सम्मिलित किसी भवन या अन्य कार्य को हटा, गिरा और परिवर्तित कर सकता है, जो कि योजना का उल्लंघन करता हो, या निर्माण या कार्य पूर्ति से संबंधित हो, जिसमें योजना के किसी प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया हो;

(ख) योजना के अंतर्गत किसी ऐसे कार्य को संपादित करना, जो किसी व्यक्ति द्वारा संपादित करने का कर्त्तव्य है, जहां नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि कार्य के संपादन में हो रही देरी योजना के कुशल संचालन में पक्षपात उत्पन्न करेगी।

(2) इस धारा के प्रावधानों के अनुसार नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी को देय राशि की वसूली के लिए इस धारा के अंतर्गत नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी

द्वारा उपगत कोई खर्च, स्वतः रूप से व्यक्ति या भूखण्ड के स्वामी से, उपबंधित रीति के अनुसार वसूला जाएगा;

(3) यदि ऐसा प्रश्न उठता है कि कोई भवन या निर्माण कार्य नगर विकास योजना का उल्लंघन करता है या उस भवन या निर्माण कार्य को खड़ा करने या बनाने के दौरान नगर विकास योजना के किसी प्रावधान का अनुपालन नही किया गया है, तो ऐसा मामला राज्य शासन को संदर्भित किया जायेगा और राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा और सभी व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगा;

(4) इस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा किये गये कार्य से होने वाले किसी नुकसान, क्षति या चोट के क्षतिपूर्ति के लिये, उप–धारा (1) में निर्दिष्ट तिथि के पूर्व प्रारंभ हुये भवन या निर्माण कार्य को छोड़कर और केवल उस तिथि तक भवन या निर्माण कार्य में अग्रसरित स्थिति तक, कोई भी व्यक्ति हकदार नहीं होगाः

परंतु, क्षतिपूर्ति का कोई दावा, जो कि इस उप–धारा द्वारा प्रतिबंधित न किया गया हो, दावेदार और नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के बीच हुये किसी अनुबंध की शर्तों के अध्यधीन होगा;

(5) इस धारा के प्रावधान केन्द्र शासन या किसी राज्य शासन द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य पर लागू नहीं होंगे।

50–ङ. समिति के कतिपय निर्णय अंतिम होंगे.– धारा 50 की उप–धारा (7) के खण्ड (1) के उप–खण्ड (सात), (आठ), (नौ), (दस), (ग्यारह) एवं (तेरह) से उदभूत मामलों

को छोड़कर, इस प्रकार गठित की गई समिति का प्रत्येक निर्णय अंतिम होगा और सभी व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगा।"

धारा 51 का प्रतिस्थापन.

27. मूल अधिनियम की धारा 51 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये और यह 1 नवम्बर, 2000 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्:-

"51. अपील.- (1) धारा 50 की उप-धारा (7) के खण्ड (1) के उप-खण्ड (सात), (आठ), (नौ), (दस), (ग्यारह) एवं (तेरह) के अधीन समिति द्वारा लिये गये निर्णयों से व्यथित कोई व्यक्ति, अंतिम योजना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिवस के भीतर, राज्य सरकार द्वारा गठित अपीलीय प्राधिकारी जिसमें जिला न्यायाधीश या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट होंगे, के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जो समिति द्वारा लिये गये निर्णय को बुला सकेगा, और उसके निर्णय की समीक्षा कर और अभिलेखों का परीक्षण कर, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे और उक्त निर्णय को राज्य शासन को स्वीकृति हेतु संसूचित करेगा, और राज्य शासन, यदि उसे उचित प्रतीत हो तो ऐसे उपांतरण को स्वीकृत कर सकेगा और इस प्रकार स्वीकृत उपांतरण स्वीकृत अंतिम योजना का भाग होगा, मानो वह अधिनियम में अधिनियमित किया गया हो:

परंतु ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रभावित व्यक्ति और नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया हो।

परन्तु यह और कि यदि वैधानिक अवधि के भीतर उप-धारा (1) के अंतर्गत कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, तो धारा 50 की उप-धारा (7) के खण्ड (1) के

उप–खण्ड (सात), (आठ), (नौ), (दस), (ग्यारह) और (तेरह) के अधीन उद्भूत मामलों के संबंध में समिति द्वारा लिये गये निर्णय, अंतिम होंगे और समस्त पक्षों पर बाध्यकारी होंगे;

(2) उप–धारा (1) के अधीन राज्य शासन, अपीलीय प्राधिकारी को अपील में निर्णय लेने में सहायता हेतु ऐसे अन्य व्यक्तियों को जो यथा विहित योग्यता एवं अनुभव रखते हों, को नियुक्त करेगा।

(3) उप–धारा (1) के अधीन अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अपील का विचाराधीन होना, नगर विकास योजना को क्रियान्वित नहीं करने का आधार नहीं होगा।"

धारा 52 का प्रतिस्थापन.

28. मूल अधिनियम की धारा 52 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये और यह 1 नवम्बर, 2000 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्:–

"52. दिशा निर्देश जारी करने की राज्य शासन की शक्तियाँ.– (1) राज्य शासन, यदि जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझे या नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के अनुरोध पर, जैसी भी स्थिति हो, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी को निर्दिष्ट कर सकता है,–

(क) नगर विकास योजना तैयार करने के लिए;

(ख) नगर विकास योजना में निष्पादन के समय, उपांतरण करने के लिए;

(ग) ऐसे निर्देशों में विनिर्दिष्ट कारणों से नगर विकास योजना को वापस लेने के लिए:

परन्तु, नगर विकास योजना उपांतरित करने या वापस लेने हेतु स्वतः निर्देश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि नगर तथा ग्राम

विकास प्राधिकारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो;

(2) इस धारा के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा दिए गए निर्देशों से नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी और ऐसे सभी भूस्वामी, जिनकी भूमि योजना क्षेत्र में सम्मिलित है, पर बाध्यकारी होंगे।

(3) उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के अंतर्गत अधिसूचना की तिथि से, योजना में जिस प्रकार से सम्मिलित किये गये थे, उसी प्रकार से उक्त उपांतरण प्रभावी होंगे, मानो कि वे इस अधिनियम में अधिनियमित हुये हों।

धारा 54 का प्रतिस्थापन.

29. मूल अधिनियम की धारा 54 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये और यह 1 नवम्बर, 2000 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्:–

"54. योजना की पूर्णता.– यदि नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी धारा 50 के अंतर्गत अंतिम योजना की अधिसूचना दिनांक से पांच वर्षों की अवधि के भीतर इसके क्रियान्वयन को पूर्ण करने में विफल रहता है, तो ऐसी पांच वर्षो की अवधि की समाप्ति पर, वह उसके लिए अपना कारण अभिलिखित करेगा और इसे राज्य शासन को अग्रेषित करेगा और राज्य शासन, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के विरूद्ध ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझेः

परन्तु, यदि प्राधिकारी और पक्षों के बीच कोई विवाद है, ऐसी योजनाओं से कोई व्यथित होता है, इसे सक्षम क्षेत्राधिकार अभिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष विचार हेतु लाया जाता है, तो ऐसे न्यायालय या अभिकरण के समक्ष ऐसे लंबित विवाद की अवधि की गणना, योजना की पूर्णता के निर्धारण हेतु नही की जाएगी।"

धारा 55 का प्रतिस्थापन.

30. मूल अधिनियम की धारा 55 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये और यह 1 नवम्बर, 2000 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्:—

"55. **विकास योजना/नगर विकास योजना, लोक प्रयोजन**— विकास योजना या नगर विकास योजना के प्रयोजन हेतु आवश्यक भूमि; भूमि अर्जन, पुनर्वासन और व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) के अर्थ के भीतर लोक प्रयोजन के लिये आवश्यक भूमि समझी जायेगी।"

धारा 56 का विलोपन.

31. मूल अधिनियम की धारा 56 को विलोपित किया जाये।

नवीन धारा 56—क का अन्तःस्थापन.

32. मूल अधिनियम की धारा 56 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये और यह 1 नवम्बर, 2000 से अन्तःस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्:—

"56—क. **नगर विकास योजना से संबंधित अनुबंध, दस्तावेज, योजना या मानचित्रों पर पंजीकरण या स्टाम्प ड्यूटी हेतु कोई शुल्क नहीं होना,**—

(1) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (क्र. 16 सन् 1908) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन उल्लिखित अनुबंध को प्रभावी बनाने हेतु भूमि के किसी स्वामी एवं नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के बीच निष्पादित लिखत के लिए उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी शुल्क प्रभार्य नहीं होगा।

(2) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (क्र. 2 सन् 1899) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन उल्लिखित अनुबंध को प्रभावी बनाने के लिये किसी

भूमि स्वामी एवं नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के बीच निष्पादित लिखत पर उक्त अधिनियम के अधीन कोई भी शुल्क (ड्यूटी) प्रभार्य नहीं होगा।"

धारा 57 का संशोधन.

33. मूल अधिनियम की धारा 57 में, उप–धारा (1) में, शब्द एवं अंक "धारा 56" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "धारा 50" प्रतिस्थापित किया जाये।

नवीन अध्याय 7–क का अन्तःस्थापन.

34. मूल अधिनियम के अध्याय 7 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये और यह 1 नवम्बर, 2000 से अन्तःस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्:–

"अध्याय 7–क

वित्त

58–क. योजना की लागत.– (1) नगर विकास योजना में सम्मिलित होगी,–

(एक) विकास लागत, क्षतिपूर्ति लागत, विधिक व्यय, यदि कोई हो, स्थापना लागत आदि सहित सभी लागत का संक्षिप्त विवरण;

(दो) योजना से राजस्व प्राप्ति, ऋण घटक, पुनर्भुगतान एवं अनुदान, यदि कोई हो, का संक्षिप्त विवरण;

(तीन) इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा देय कुल राशि, जो कि योजना की लागत से विर्निदिष्ट रूप से पृथक ना कि गई हो;

(चार) नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा योजना के निर्माण और क्रियान्वयन में खर्च हो चुकी या खर्च होने वाली संभावित कुल राशि;

(पांच) नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के उद्देश्यों के लिये या किसी लोक प्रयोजन के लिये

निर्दिष्ट या आरक्षित भूमि के भुगतान के लिये देय कुल राशि, जो कि केवल योजना क्षेत्र में रह रहे निवासियों या भूस्वामियों के लिये लाभकारी हो;

(छः) किसी लोक प्रयोजन के लिये या नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के लिये निर्दिष्ट या आरक्षित भूमि के भुगतान के लिये देय ऐसा भाग, जो कि योजना क्षेत्र में रह रहे निवासियों या भूस्वामियों के लिये आंशिक रूप से और सामान्य जन के लिये आंशिक रूप लाभकारी होगा, जो कि योजना क्षेत्र में रह रहे निवासियों या भूस्वामियों के लिये मुख्य रूप से लाभकारी है;

(सात) नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा योजना के निर्माण और क्रियान्वयन में खर्च हुआ कुल विधिक व्यय;

(आठ) ऐसी राशि, जिसके द्वारा वास्तविक भूखण्डों के मूल्य की कुल राशि, अंतिम योजना में सम्मिलित किये गये भूखण्डों के मूल्य की कुल राशि से अधिक हो, ऐसा प्रत्येक भूखण्ड, योजना को तैयार करने की मंशा की घोषणा की तिथि पर बाजार मूल्य पर आकलित किया गया हो, उक्त तिथि पर ऐसे सारे भवनों और निर्माण कार्यों के साथ और इसकी सीमाओं में परिवर्तन के कारण होने वाले सुधारों को छोड़कर, योजना में परिकल्पित सुधारों के संदर्भ के बिना;

(नौ) योजना क्षेत्र के समीपवर्ती क्षेत्र के लिये आवश्यकतानुसार अधोसरंचना व्यय, जैसा कि विहित किया जाये, आकस्मिक व्यय के रूप में;

(2) यदि किसी मामले में अंतिम योजना में सम्मिलित

भूखण्डों के मूल्य की कुल राशि, वास्तविक भूखण्डों के मूल्यों की कुल राशि से अधिक होती है, ऐसा प्रत्येक भूखण्ड उप–धारा (1) के खण्ड (आठ) में उपबंधित रीति के अनुसार आक़लित हो, तो उप–धारा (1) में यथा परिभाषित योजना क़ी राशि को जानने के लिये ऐसी आधिक्य राशि काट ली जायेगी।

58–ख. वृद्धि की गणना.–

इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु उस धनराशि का वृद्धि होना समझा जाएगा, जो योजना बनाने के आशय की घोषणा के दिनांक से पूर्वधारणा पर अनुमानित अंतिम योजना सहित भूखण्ड के बाजार मूल्य, जिस पर योजना पूरी की गई है, योजना में अपेक्षित सुधार के संदर्भ के बिना अनुमानित समान भूखण्ड का बाजार मूल्य समान दिनांक से अधिक होगा;

परन्तु, ऐसे मूल्यों का अनुमान लगाने में भवनों का मूल्य या स्थापित अन्य कार्य या स्थापित किये जा रहे कार्यों को ध्यान में नहीं रखा जायेगा।

58–ग. योजना की लागत के लिये अंशदान.–

(1) योजना की लागत नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा अंतिम योजना में सम्मिलित प्रत्येक भूखण्ड से देय पूर्ण या आंशिक अंशदान, जो कि ऐसे अनुमानित देय भूखण्ड की वृद्धि के अनुपात में संगणित होगी, द्वारा पूरी की जायेगी।

परन्तु यह कि, –

(एक) (अ) योजना की लागत वृद्धि के आधे से अधिक न हो, लागत को पूर्णतः अंशदान के द्वारा पूरा किया जायेगा; और

(ब) जहां यह वृद्धि के आधे से अधिक होगा, वहां

वृद्धि के आधे भाग तक एक अंशदान के द्वारा पूरा किया जायेगा और अतिरिक्त खर्च नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा वहन किया जायेगा;

(दो) जहाँ एक भूखंड, अधिकार या पट्टे के तौर पर बंधक है, समिति यह अवधारित करेगी कि एक ओर बंधकग्राही या पट्टाग्राही किस अनुपात में और दूसरी ओर बंधककर्ता या पट्टाकर्ता किस अनुपात में अंशदान करेंगे;

(तीन) किसी लोक प्रयोजन के लिये या नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के लिये प्रयुक्त, निर्दिष्ट या आरक्षित भूखंड, जो केवल योजना क्षेत्र में रह रहे निवासियों या भूस्वामियों के लिये लाभकारी हो, पर कोई अंशदान नहीं लिया जायेगा;

(चार) किसी लोक प्रयोजन के लिये या नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के लिये प्रयुक्त, निर्दिष्ट या आरक्षित भूखंड, जो योजना क्षेत्र में रह रहे निवासियों या भूस्वामियों के लिये आंशिक रूप से लाभकारी हो और सामान्य जन के लिये आंशिक रूप से, पर लिया जाने वाला अंशदान सामान्य जन द्वारा ऐसे उपयोग, आवंटन या आरक्षण से होने वाले अनुमानित लाभ के अनुपात के रूप में परिकलित किया जायेगा;

(2) अंतिम योजना में सम्मिलित प्रत्येक भूखण्ड का स्वामी, ऐसे भूखण्ड के संबंध में किये जाने वाले अंशदान के भुगतान के लिये मुख्य रूप से दायी होगा।

58—घ. वास्तविक से अंतिम भूखण्ड को अधिकार का हस्तांतरण या ऐसे अधिकार की विलुप्ति.—

समिति की राय के अनुसार वास्तविक भूखण्ड का कोई अधिकार, जो पूर्ण रूप या आंशिक रूप में, अंतिम भूखण्ड को हस्तांतरण करने योग्य है, नगर विकास योजना में निर्माण में पूर्वाग्रह के बिना, हस्तांतरित किया जायेगा, और वास्तविक भूखण्ड का कोई अधिकार, जो समिति की राय के अनुसार हस्तांतरण के योग्य नहीं है, विलुप्त हो जायेगा;

परंतु कोई कृषि पट्टा वास्तविक भूखण्ड से अंतिम भूखण्ड को, ऐसे पट्टे पर सभी पक्षों की सहमति के बिना, हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।

58–ङ. योजना से प्रतिकूल रूप से प्रभावित सम्पत्ति या अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति.–

नगर विकास योजना के निर्माण से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने वाली सम्पत्ति या अधिकार का स्वामी, यदि वह विहित समय के भीतर समिति के समक्ष दावा प्रस्तुत करता है, तो नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा या किसी लाभान्वित व्यक्ति द्वारा या आंशिक रूप से नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी तथा आंशिक रूप से ऐसे व्यक्ति द्वारा, जैसा कि समिति प्रत्येक मामले में अवधारित करे, क्षतिपूर्ति हेतु पात्र होगा;

परंतु ऐसी सम्पत्ति या अधिकारों का मूल्य, योजना को बनाने के आशय की घोषणा की तिथि पर, योजना में परिकल्पित सुधारों के संदर्भ के बिना, यथास्थिति, उसका बाजार मूल्य समझा जायेगा।

58–च. कतिपय मामलों में क्षतिपूर्ति का अपवर्जन.–

(1) नगर विकास योजना में अंतर्विष्ट किसी प्रावधान से तथाकथित प्रतिकूल रूप से प्रभावित किसी सम्पत्ति या निजी अधिकार के संबंध में कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा, यदि उस क्षेत्र, जो कि लागू तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य

विधि के अंतर्गत हो, में ऐसे किसी योजना के अन्तर्गत प्रतिकूल रूप से प्रभावित लोगों के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं है;

(2) नगर विकास योजना में शामिल किये गये किसी प्रावधान से, कोई सम्पत्ति या निजी अधिकार, प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं समझा जायेगा, जो कि धारा 49 की उप–धारा (3) के खण्ड (ण) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में कोई शर्त या प्रतिबंध अधिरोपित करता हो।

58–छ. ऐसे मामलों के लिये प्रावधान, जिनमें भूस्वामी को देय राशि उसी से ली जाने वाली राशि से अधिक हो या भूस्वामी द्वारा देय राशि से कम हो;

(1) यदि वास्तविक भूखण्ड के भूस्वामी को अंतिम योजना में भूखण्ड प्रदान नहीं किया जाता है या उससे लिया जाने वाला अंशदान, इस अधिनियम के किसी प्रावधान के अंतर्गत, कुल कटौती की गई राशि से कम होता है, तो नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा उसकी हानि की शुद्ध राशि, चेक या ऐसी दूसरी रीति, जो कि पक्षकारों द्वारा परस्पर सहमत हो, देय होगी;

(2) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अंतिम योजना में सम्मिलित भूखण्ड के स्वामी द्वारा नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी को देय अंशदान राशि, जिससे योजना पूर्ण हो गई हो, ऐसी परिकल्पना के साथ ऐसे भूखण्ड के आकलित मूल्य से अधिक होती है, तो ऐसे भूखण्ड का स्वामी नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी को ऐसी अतिरिक्त राशि का भुगतान करेगा;

(3) यदि विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर भूस्वामी उपधारा (2) के अधीन हो रहा भुगतान करने में विफल रहता है, तो नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी ऐसे चूककर्ता बकायादार के

अंतिम भूखण्ड को अधिग्रहीत कर लेगा और ऐसे भुगतान को, योजना के निर्माण के आशय की घोषणा की तिथि पर बाजार मूल्य पर आधारित उस भूखण्ड के मूल्य का भुगतान और योजना में परिकल्पित सुधारों के संदर्भ के बिना, भूस्वामी और भूखण्ड में हितग्राही अन्य व्यक्तियों के बीच बांट देगा; और तद्नुसार अंतिम योजना में सम्मिलित भूखंड, सभी प्रकार के ऋण भारों से मुक्त, किन्तु इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी में पूर्णतः निहित होगाः

परंतु नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा वास्तविक भूखण्ड के मूल्य के संदर्भ में किया गया भुगतान योजना की लागत में सम्मिलित नहीं होगा।

58–ज. खाता समायोजन द्वारा भुगतान.– इस अधिनियम के अन्तर्गत नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा किसी भी व्यक्ति को किए जाने वाले सभी भुगतान, जहाँ तक संभव हो, संबंधित भूखण्ड या किसी अन्य भूखण्ड के संबंध में नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के साथ ऐसे खातों में समायोजन किया जाएगा, जिसमें वह रुचि रखता है तथा ऐसे समायोजन करने में विफल होने पर, चेक द्वारा भुगतान किया जाएगा या ऐसे किसी अन्य रीति में, जिस पर पक्षकारों द्वारा सहमती दी जाती हैं, भुगतान किया जायेगा।

नवीन धारा 63–ख का अंतःस्थापन.

35. मूल अधिनियम की धारा 63–क के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये और यह 1 नवम्बर, 2000 से अन्तःस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्:–

"63–ख. नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी की अनुबंध करने की शक्ति.– नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी, राज्य शासन की ऐसे अनुबंध को उपांतरित या अस्वीकृत करने की शक्ति के अध्यधीन रहते हुए, किसी व्यक्ति के साथ

ऐसे किसी मामले में कोई अनुबंध करने में सक्षम होगा, जो कि नगर विकास योजना में उपबंधित किसी प्रकरण के सम्बन्ध में हो।"

नवीन धारा 65—क एवं 65—ख का अन्तःस्थापन.

36. मूल अधिनियम की धारा 65 के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थातः—

"65—क. विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी की बैठकें.—

(1) प्राधिकारी की बैठकें ऐसे समय, ऐसे स्थान और ऐसी रीति में होगी, जैसा कि विनियमों में विनिर्दिष्ट हो;

परंतु जब तक इस मामले में विनियम नहीं बन जाते, ऐसी बैठकें अध्यक्ष द्वारा आहूत की जाएगी।

(2) प्राधिकारी, संकल्प के द्वारा, यह आदेश दे सकेगा कि इस अधिनियम के अंतर्गत नियमों और उपनियमों को बनाने की शक्ति के अलावा, कोई प्रयोज्य शक्ति, प्राधिकारी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी या अन्य किसी अधिकारी द्वारा ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों के अनुसार, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, प्रयुक्त की जा सकती है,

(3) (अ) प्राधिकारी, समय—समय पर, जैसा कि वह उचित समझे, समिति के अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य युक्त समितियॉ गठित कर सकती है तथा नियमों के अनुसार ऐसी रीति और ऐसी अवधि तक, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिनकी सहायता या सुझाव जैसा कि वांछा हो, ऐसी समितियों के साथ सहयोजित कर सकती है और इस अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी विषय पर जांच और प्रतिवेदन के लिए ऐसी समितियों को प्रेषित कर सकती है।

(ब) उप—धारा (3) के खण्ड (क) अंतर्गत नियुक्त ऐसी प्रत्येक समिति, प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर दिये गये किसी भी निर्देश का पालन करेगी, और प्राधिकारी किसी

भी समय इस तरह नियुक्त किसी समिति का गठन बदल सकता है या ऐसी किसी नियुक्ति को रद्द कर सकता है।

65–ख. मुख्य कार्यपालन अधिकारी.–

(1) प्राधिकारी का एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी होगा, जो कि प्राधिकारी का सदस्य–सचिव होगा और प्रमुख कार्यपालन और प्रशासनिक अधिकारी भी होगा, और प्राधिकारी के संपूर्ण नियंत्रण के अधीन होते हुये, प्राधिकारी के अन्य सभी अधिकारी तथा कर्मचारीं उसके अधीनस्थ होंगे।

(2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास ऐसी शक्तियां होगी और वह ऐसे कर्तव्य निभायेगा, जैसा कि शासन द्वारा विहित किया जाए।

(3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, यह आदेश दे सकेगा कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई प्रयोज्य शक्ति, प्राधिकारी के अन्य किसी अधिकारी द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि विहित किया जाए, का प्रयोग करेगा।"

37. मूल अधिनियम की धारा 68 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:– **धारा 68 का प्रतिस्थापन.**

"68. कृत्य.– विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी के निम्नलिखित कृत्य होंगे –

(एक) विकास योजना और नगर विकास योजना को तैयार करना, यदि आवश्यक हो तो संशोधन करना और उसे क्रियान्वित करना;

(दो) निर्माण गतिविधियों को क्रियान्वित करना और सुविधाओं को प्रदान करना, उनका संचालन, रख–रखाव, प्रबंधन, और विनियमन करना;

(तीन) खण्ड (एक) में विनिर्दिष्ट योजनाओं के

क्रियान्वयन के लिये भूमि और अन्य सम्पत्तियों को अर्जित करना, अधिकार में रखना, विकसित, प्रबंध और व्ययन करना; और

(चार) विशेष क्षेत्र से संबंधित ऐसे सभी कृत्यों का निष्पादन करना और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना जैसा कि राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाए।''

धारा 69 का प्रतिस्थापन.

38. मूल अधिनियम की धारा 69 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

''69. शक्तियां.- विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी,-

(क) (एक) प्राधिकारी, अधिनियम के उद्देश्यों के अंतर्गत, विशेष क्षेत्र में स्थित भूमि के विकास के लिये उस रीति से, जैसी नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी भूमि के स्वामी के साथ क्रय का अथवा अन्यथा अनुबंध कर सकेगा;

(दो) जहाँ प्राधिकारी द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण पर, राज्य शासन को, इस अधिनियम के उद्देश्यों के अंतर्गत यदि ऐसा प्रतीत होता है, कि विशेष क्षेत्र के अंतर्गत किसी भूमि का अर्जन आवश्यक है जो कि एक लोक प्रयोजन समझा जायेगा, तो राज्य शासन उस भूमि को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) के अंतर्गत अर्जित कर सकेगा।

(ख) (एक) प्राधिकारी, विशेष क्षेत्र के भीतर विकास योजना और नगर विकास योजना के नियोजन, तैयारी और उसका पुनरीक्षण करने के उद्देश्य

से, यथा प्रकरण, इस अधिनियम के अंतर्गत संचालक को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा तथा यदि राज्य शासन द्वारा ऐसा करने का निर्देश हो तो प्राधिकारी को, उसके अधिकार क्षेत्र में भूमि के विकास और उपयोग को नियंत्रित और विनियमित करने की शक्ति भी होगी,

(दो) विशेष क्षेत्र के अंतर्गत नगर विकास योजना का नियोजन, तैयारी और क्रियान्वयन के उद्‌देश्य से इस अधिनियम के अंतर्गत नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

(ग) (एक) प्राधिकारी के द्वारा या उसकी ओर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करते हुए संविदाऐं निष्पादित की जायेगी।

(दो) कोई संविदा, किसी ऐसे उद्‌देश्य के लिये, जो कि इस अधिनियम या अन्य किसी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार नहीं है, उसके द्वारा नहीं की जायेगी।

(तीन) संविदा करने की रीति और प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी विहित की जाये।

(चार) प्राधिकारी, तकनीकी, वित्तीय या अन्य मामलों में सहायता लेने के लिये, योग्य व्यक्तिगत सलाहकार या सलाहकार संस्था की सेवायें ले सकेगा, और ऐसे सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया इस हेतु बनाये गये नियमों के अनुसार होगी।

(पांच) प्राधिकारी सुविधाओं से संबंधित नगरीय अधोसरंचना से संबंधित किसी परियोजना को क्रियान्वित करने के लिये, किसी कंपनी, संस्था, सोसायटी, न्यास या अन्य कोई एजेंसी या विद्यमान नियमों के अंतर्गत स्थापित अन्य किसी शासकीय एजेंसी, की सहायता ले सकता है। प्राधिकारी ऐसी निजी संस्था की सहायता से कार्यो का क्रियान्वयन भी करा सकती है।

(छः) विकास, क्रियान्वयन, रख–रखाव, सेवाओं का उपलब्ध कराया जाना या इनके किसी संयोजन के लिये, निजी क्षेत्र भागीदारी अनुबंध ऐसा होगा जैसा कि, विहित किया जाए।

(घ) प्राधिकारी को किसी भी प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा किया गया विकास, जो कि इस अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत बनाये गये नियमों के उल्लंघन में किया गया हो, को गिराने, तोड़ने, हटाने या अन्य कोई समुचित कार्यवाही करने की शक्ति होगी।

(ङ) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकारी के पास नियमों में यथा विहित रीति एवं दरों के अनुसार निम्नलिखित एक या एक से अधिक ग्राहक प्रभार, प्रभार शुल्क, प्रीमियम, टोल और ड्युटी लेने का अधिकार होगा जैसेः–

(एक) सामान्य सुविधायें उपयोगकर्ता प्रभार;

(दो) आंतरिक और/या बाह्य विकास पूर्ण करने के लिए प्रभार;

(तीन) जलापूर्ति, मल–जल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सूचना एवं संचार तकनीक (आई.सी.टी) आधारित

परियोजना/परियोजनाओं के उपयोग हेतु प्रभार;

(चार) अन्य कोई उपयोगकर्ता प्रभार, जो कि राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाए।"

39. मूल अधिनियम की धारा 69 के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये; अर्थातः– नवीन धारा 69–क, 69–ख एवं 69–ग का अंतःस्थापन.

"69–क. उपभोक्ता प्रभार के संग्रहण के लिए शक्ति और प्रक्रिया.– (1) उपयोगकर्ता प्रभार और उसकी वसूली के लिए देयक के प्रस्तुतीकरण की रीति और प्रक्रिया, विनियम के द्वारा विनिर्दिष्ट होगी।

(2) कोई उपयोगकर्ता प्रभार, जो प्राधिकारी को देय हो गया हो परन्तु विनियम में विनिर्दिष्ट समयावधि के अंदर नहीं चुकाया गया है, की वसूली, भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) के प्रावधानों के अंतर्गत भू–राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल किये जाने योग्य होगी।

69–ख. अनाधिकृत प्रवेश आदि एवं अपराध के विषय में प्राधिकारी की शक्ति.– (1) विशेष क्षेत्र के अंतर्गत अनधिकृत प्रवेश, विकास या भू–उपयोग के मामले में प्राधिकारी, इस अधिनियम के अंतर्गत संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(2) जो कोई, –

(क) किसी व्यक्ति, जिसके साथ प्राधिकारी ने संविदा किया हो, को उसके कर्तव्यों के निष्पादन, से रोकता है; या अन्य कृत्य जिसकी इस अधिनियम के अंतर्गत शक्ति रखता हो या किये जाने आवश्यकता हो; या

(ख) इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकृत कार्य के क्रियान्वयन के लिये आवश्यक किसी स्तर या दिशा

को चिन्हित करने के उद्देश्य से बनाये गये किसी चिन्ह को हटाता है,

को साधारण कारावास जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी या जुर्माने जो रूपये पचास हजार तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) जो कोई किसी अधोसंरचना, जैसे कि खड़ी दीवार, पैरापेट, रेलिंग, सिवरेज लाईन, जलापूर्ति लाईन, जल निकासी, विद्युत लाईन, पौधों, गली या फर्नीचर, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम आदि को, हानि पहुचाता है, वह सेवा शुल्क के तौर पर मरम्मत लागत के 100 प्रतिशत के साथ मरम्मत लागत का भुगतान करने हेतु दायी होगा, जिसके नहीं किये जाने पर उसे तीन माह की अनधिक अवधि तक के कारावास से दण्डित किया जायेगा।

(4) जो कोई इस अधिनियम या इसके अंतर्गत निर्मित कोई नियम या विनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, यदि इस अधिनियम में अन्यत्र कोई जुर्माना नहीं दिया गया है, तो उसे तीन माह की अवधि तक या रूपये पांच हजार के जुर्माने तक या दोनों से दंडित किया जायेगा।

(5) कोई व्यक्ति, जो उपरोक्त उपधारा के अंतर्गत अपराध करने के पश्चात् समान अपराध को करना जारी रखता है, को प्रथम अपराध के होने के पश्चात् ऐसे अपराध जारी रहने की अवधि के दौरान प्रत्येक दिन के लिये रूपये एक हजार तक के जुर्माने से दंडित किया जायेगा।

(6) जहां कोई अपराध इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कंपनी द्वारा किया जाता है, और यह सिद्ध हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निर्देशक प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या उपेक्षा या उनसे संबंधित किसी अवहेलना, से हुआ है, ऐसे संचालक, प्रबंधक, सचिव

या अन्य अधिकारी, अपराध के दोषी समझे जायेगें, और उस प्रत्येक दिन के लिये जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, अधिकतम रूपये बीस हजार प्रतिदिन के जुर्माने से, दण्डित किये जाने हेतु दायी होंगे।

"69—ग. अपराधों का प्रशमन.—

(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क 2 सन् 1974) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय कोई अपराध, (चार्जशीट दायर करने के पूर्व) या अभियोजन प्रारंभ होने के पश्चात् न्यायालय की अनुमति से प्राधिकारी द्वारा, ऐसे समझौता शुल्क जो अधिसूचित किया जाये, के भुगतान पर, समझौता किया जा सकेगा।

(2) जहां उप—धारा (1) के अंतर्गत किसी अपराध के संबंध में समझौता हो जाये, कोई कार्यवाही या आगे की कार्यवाही, जैसा मामला हो, समझौता किये गये अपराध के संबंध में अपराधी के विरूद्व कार्यवाही नहीं की जायेगी, और अपराधी, यदि वह हिरासत में हो, तो तुरंत छोड़ दिया जायेगा।"

धारा 70 का संशोधन.

40. मूल अधिनियम की धारा 70 में,—

(क) उप—धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थातः—

"(2) विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी, इस अधिनियम के किसी या सभी उद्देश्य के लिए—

(क) राज्य शासन और भारत शासन, कंपनियों, निगमों एवं मंडलों जो राज्य शासन या भारत शासन द्वारा गठित हो, बहुपक्षीय संस्थाओं और वित्तीय संस्थाओं या स्थानीय प्राधिकारियों से या शासन की पूर्वानुमति के पश्चात् किसी दूसरी संस्था से अनुदान

स्वीकार कर सकेगा।

(ख) राज्य शासन और भारत शासन, राज्य शासन और भारत शासन द्वारा गठित कंपनियों, निगमों, और मंडलों, बहुपक्षीय संस्थाओं और वित्तीय संस्थाओं या स्थानीय प्राधिकारियों से या शासन की पूर्वानुमति के पश्चात् किसी दूसरी संस्था से ऋण या अग्रिम या बांड अथवा डिबेंचर के जारी करने से या विधि से अनुमत अन्य माध्यमों से ऋण या उधार ले सकता है।

(ग) प्राधिकारी में निहित अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति या ऐसे समस्त अथवा किसी उपयोगकर्ता प्रभार, कर, प्रभार और इस अधिनियम द्वारा अधिकृत देय राशि अथवा अचल सम्पत्ति और समस्त या किसी उपयोगकर्ता प्रभार, शुल्क और देय राशियों या दोनों के प्रतिभूति पर ऋण व अग्रिम ले सकेगा।"

(ख) उप–धारा (2) के पश्चात, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थातः–

"(3) प्राधिकारी, विनियमों में विनिर्दिष्ट अनुसार ऐसी विशेष निधि और ऐसी अन्य निधियों का गठन कर सकेगी जो इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिये आवश्यक होगा।"

नवीन धारा 71–क का अन्तःस्थापन.

41. मूल अधिनियम की धारा 71 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थातः–

"71–क. लेखों का संधारण.– (1) प्राधिकारी लेखों का हिसाब, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति के अनुसार रखेगी जो इस हेतु बनाये गये विनियम में निर्धारित किये जायें।

(2) प्राधिकारी प्रोद्भवन आधारित दोहरी लेखा प्रणाली को अपनायेगा और वित्तीय प्रलेखन के संबंध में अंतरराष्ट्रीय

सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने का प्रयास करेगा।

(3) प्राधिकारी, प्राधिकारी के दैनिक लेखों का आंतरिक अंकेक्षण के लिए प्रावधान कर सकेगा।

(4) प्राधिकारी के लेखों का अंकेक्षण, राज्य शासन द्वारा इस संबंध में नियुक्त संपरीक्षक द्वारा किया जायेगा।

(5) अंकेक्षण जहां तक संभव हो सके, पूर्ण रूप से और विनियमों द्वारा समय—समय पर निर्धारित रीति से किया जायेगा।

नवीन धारा 72—क का अन्तःस्थापन.

42. मूल अधिनियम की धारा 72 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"72—क. **राज्य शासन की सुधार, रद्द या उपान्तरित करने की शक्तियाँ.**— राज्य शासन, किसी भी स्तर या समय पर, इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत नियत अधिकारियों तथा इस अधिनियम के अंतर्गत गठित प्राधिकारियों द्वारा लिए गए किसी भी कृत्य, कार्यवाही या निर्णय को सुधार, रद्द या उपान्तरित कर सकेगा।"

धारा 81 का प्रतिस्थापन.

43. मूल अधिनियम की धारा 81 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"81. **विधिक कार्यवाहियों का अवरोध.**— (1) राज्य शासन, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी या कोई लोकसेवक या किसी व्यक्ति जो अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त या अधिकृत हो, के विरूद्ध किसी भी ऐसी बात के संबंध में, जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये या जारी किये गये किन्ही नियमों या विनियमों, उप—विधि या अधिसूचना के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो, या जिसका सद्भाव पूर्वक किया जाना आशयित रहा हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

(2) इस अधिनियम के तहत गठित प्राधिकारी, उसके अध्यक्ष या उसके कोई अधिकारी या सदस्य के विरूद्ध इस आधार पर कि इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी कर्तव्य का परिपालन नहीं किया गया है। क्षति या निर्दिष्ट निष्पादन के लिये कोई वाद संधारण योग्य नहीं होगा।"

धारा 85 का संशोधन.

44. मूल अधिनियम की धारा 85 में, उप–धारा (2) में,–

(क) खण्ड (चार) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(चार–क) (क) जिस प्रपत्र में अनुमति दी जाएगी, संचार के आदेश की रीति और धारा 16(2) के अंतर्गत उसकी दशाएं;

(ख) धारा 16(3) के अंतर्गत आवेदन प्रपत्र, उस आवेदन में शामिल होने वाले विवरण और शुल्क सहित दस्तावेज, जो कि धारा 16(3) के अंतर्गत किए जाने वाले आवेदन के साथ होंगे।"

(ख) खण्ड (छः) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(छः–क) (क) धारा 23–क(1)(ख) के अंतर्गत आवेदन प्रपत्र, उस आवेदन में शामिल होने वाले विवरण और शुल्क सहित दस्तावेज, जो कि धारा 23–क(1)(ख) के अंतर्गत किए जाने वाले आवेदन के साथ होंगे;

(ख) धारा 23–क(1)(ख) के अंतर्गत नियम;

(ग) धारा 23–क(2) के अंतर्गत सूचना प्रकाशन की रीति;

(घ) धारा 23–क(2)(तीन) के अंतर्गत बाज़ार मूल्य